28

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

R. 735-II/12 निगरानी कमांक----/....

सामलसिंह आत्मज श्री बलदारसिंह
जाति–यदुवंशी (जादम)
व्यवसाय–कृषि
निवासी ग्राम बरखेड़ा,
तहसील–रेहटी, जिला–सीहोर म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1– सरपंच ग्राम पंचायत बरखेड़ा,
विकास खण्ड रेंहटी, तह0 रेहटी
जिला–सीहोर, म0प्र0

2– म0 प्र0 शासन ....अनावेदकगण

–निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 –

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखण्ड बुदनी जिला–सीहोर के प्रकरण कमांक 98612/अ–68/11–12 (शासन विरूद्ध सामल सिंह) में आदेश पत्रिका दिनांक 28–2–2012 से दुःखित व असंतुष्ट होकर यह निगरानी सम्माननीय न्यायालय में समय सीमा के अन्दर निम्नलिखित संक्षिप्त तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत है :–

––प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य––

1– यह कि आवेदक ग्राम बरखेड़ा तह0 रेहटी जिला–सीहोर का स्थाई निवासी होकर अपने पूर्वजों के बने हुए मकान में निवास करते हुए अपने पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि पर कृषि कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है ।

2– यह कि आवेदक को तहसील न्यायालय से एक सूचना पत्र धारा 248 का प्राप्त हुआ । आवेदक अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अधिनस्थ तहसील न्यायालय से निवेदन किया और आवेदक ने संबंधित विवादग्रस्त भूमि के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 7–12–2011 एवं दिनांक 20–01–2012 को सूचना के अधिकार के तहत दिया परन्तु आवेदक को दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए । अतः इस कारण से आवेदक अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका और आवेदक को दस्तावेज प्राप्त होने पर आवेदक माननीय न्यायालय में जवाब

सामलसिंह

5

R-735-II/12 सी.ओ.टी.-1 - श्री नागेश्वर राव

N.F 19/7/16
22/6/16

22/6/16 भोपाल: आवेदक अभि० श्री- नागेश्वर राव. बोगावन से उपस्थित। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है। प्रकरण में अन्तिम अवसर बहस हेतु दिया जाता है।
L.F. 19/7/16
सदस्य

19-7-16 आवेदक अभि: श्री नागेश्वर राव सूचना उपरान्त अनुपस्थित / पूर्व पेशी पर उपस्थित थे / तीन बार आवाज लगवाई गई / कोई उपस्थित नहीं / अत: आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है
सदस्य